

- :: आदेश ::-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतःवादी का दावा विरुद्ध प्रतिवादी स. 1 व 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 को वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी खसरा न. 316/2/2 अर्थात् वर्तमान खसरा न. 424/362 रकबा 0.81 से बेदखल किया जाकर तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह भूमी खसरा न. 424/362 से प्रतिवादी स.1 व 2 को बेदखल कर इस पर वादी का दखल करवाये तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम पिठौला स्थित भूमी ख.न. 424/362 रकबा 0.81 हैक्टर के किसी भी भाग पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे , विधुत कनेक्शन नही लेवे वादी के कब्जा कारस्त उपयोग - उपभोग मे बाधा कारित नही करे इसमे किसी तरह का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का प्रतिदावा विरुद्ध वादी खारीज किया जाता है इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो ।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपाखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ११/१२/२३ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपाखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)



मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-  
राजस्व वाद संख्या :- 106/2017

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.  
जीसीएमएस नम्बर :- 2017/00173

रहीश कुमार - ब न म - जगवन्ती आदि

दावा- बेदखली , स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 1 व 2, की ओर से श्री लक्ष्मीकान्त एडवोकेटकी अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/7/23 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वादी का दावा विरुद प्रतिवादी स. 1 व 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 को वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी खसरा न. 316/2/2 अर्थात् वर्तमान खसरा न. 424/362 रकबा 0.81 से बेदखल किया जाकर तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह भूमी खसरा न. 424/362 से प्रतिवादी स.1 व 2 को बेदखल कर इस पर वादी का दखल करवाये तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम पिठौला स्थित भूमी ख.न. 424/362 रकबा 0.81 हैक्टर के किसी भी भाग पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे, विधुत कनेक्शन नही लेवे वादी के कब्जा कास्त उपयोग - उपभोग मे बाधा कारित नही करे इसमे किसी तरह का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का प्रतिदावा विरुद वादी खारीज किया जाता है"

यह निर्णय आज दिनांक 21/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना